राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 5(4) कृ.प्र./24 ब/2016–17/2322-2496 दिनांक– 13-5-16

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद......................................

विषयः– वर्ष 2016–17 में विस्तार–प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा–निर्देश, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

कृषको एवं कृषि विस्तार कार्मिको की तकनीकी ज्ञान वृद्धि हेतु प्रशिक्षण एक आवश्यक माध्यम है। अनुसंधान एंव विकास योजनाओ के लाभ उचित लाभार्थियों तक पहुचाने का सशक्त माध्यम विस्तार प्रणाली है। विस्तार की विभिन्न गतिविधियों को अपनाकर वास्तविक लाभार्थियों को उचित ज्ञान/जानकारी उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा सकता है। वर्ष 2016–17 में सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के तहत संचालित निम्न गतिविधियों के माध्यम से कृषकों को जानकारी देने एवं उत्पादन वृद्धि हेतु दिशा–निर्देश एवं भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य भिजवाये जा रहे है:–

अ– सॉयल हैल्थ कार्ड योजना :–

1. दो दिवसीय ऑफिसर प्रशिक्षण
2. दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण

संलग्नः–दिशा–निर्देश एवं भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(डॉ. नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट
शासन सचिव, कृषि

क्रमांक एफ 5(4) कृ.प्र./24 ब/2016–17/2322-2496 दिनांक :– 13-5-16

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं पशुपालन राजस्थान–जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, कृषि राजस्थान–जयपुर।
4. निदेशक, पशुपालन/मत्स्य पालन, राजस्थान–जयपुर।
5. अपर निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/एन.एम.ओ.ओ.पी.) मुख्यालय जयपुर
6. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर
7. निदेशक समेती (आत्मा), दुर्गापुरा जयपुर
8. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार/तिलहन)/परियोजना निदेशक सीएडी कोटा.............
9. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार/योजना/आदान/पौ०सं०/गु०नि०/ज०उ०प्र०/शस्य– एटीसी/प्र० एवं मू०/सांख्यिकी/रसायन), मुख्यालय जयपुर।
10. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद/उप निदेशक कृषि (विस्तार), आईजीएनपी बीकानेर.................................... ।
11. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार/अभियांत्रिकी/बीज/उर्वरक/सांख्यिकी/सूचना), मुख्यालय जयपुर।
12. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उप जिला...
13. आरक्षी पत्रावली।

(एल.एन.कुमावत)
अपर निदेशक कृषि (विस्तार)

सॉयल हैल्थ कार्ड योजना वर्ष 2016–17 के क्षमता वर्धन हेतु कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दिशा–निर्देश

1. योजना अन्तर्गत कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम के वित्तीय प्रावधान सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के अनुसार होगें।
2. प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम प्रति प्रशिक्षण 30 होगी।
3. प्रशिक्षण में ऐसे लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह के प्रगतिशील कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित कराया जावें, जो कृषि संबंधी उन्नत तकनीकी को ग्रहण कर उसे लागू करने में विशेष रूचि रखते हो।
4. प्रशिक्षण में सिंचित एवं असिंचित दोनों क्षेत्रों के कृषकों को सम्मिलित किया जावें।
5. प्रशिक्षण कार्यक्रम में कम से कम 30% प्रगतिशील महिला कृषकों को सम्मिलित करें, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावें।
6. क्षेत्र के माननीय सांसद द्वारा चयनित आदर्श गांव के कृषकों को सम्मिलित किया जावें।
7. कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कृषकों को समुचित लाभ दिलवाने के मध्यनजर उदेश्यपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जावें। इस हेतु निम्नानुसार बिन्दु रखे जाने प्रस्तावित है –

- फसलों हेतु आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता ।
- पोषक तत्वों की पूर्ति के स्त्रोत – खाद, उर्वरक, जिप्सम, बायोफर्टिलाईजर आदि।
- मिट्टी की जांच कब, क्यों, कैसे।
- मृदा स्वास्थ्य क्या है, कैसे देख–भाल करें।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता, सन्तुलित खाद व उर्वरक ।
- देशी खाद क्यों व कैसे तैयार करें।
- उर्वरकों के उपयोग की विधि व सही समय।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग कब, क्यों, कैसे।
- जिले की आवश्यकता अनुसार विकल्पों के आधार पर कोई महत्वपूर्ण विषय जो आपके जिले के लिये उपयोगी हो।

8. वित्तीय लक्ष्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रतिभागियों की संख्या उपलब्ध बजट सीमा के अनुसार बढाई जा सकती है।
9. प्रशिक्षण हेतु संबंधित उप निदेशक कृषि (वि.), जिला परिषद को वित्तीय प्रावधान अलग से भिजवायें जावेगें।
10. प्रशिक्षणों में यह ध्यान रखा जाना है कि कृषकों की पुनरावृति नहीं हो।
11. जिलों में वर्ष 2016–17 में सॉयल हैल्थ कार्ड योजना का कियान्वयन कराया जा रहा हो, उन क्षैत्रों में कृषक प्रशिक्षण/प्राथमिकता पर आयोजित किए जावें।
12. प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कृषकों को सॉयल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

कृषक प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रावधान –

क.सं.	मद	दर	कुल राशि रू0
1	प्रशिक्षण सामग्री, स्टेशनरी, हॉल किराया, श्रव्य दृश्य सामग्री आदि ।	रू0 2500 प्रति प्रशिक्षण	2500.00
2	यात्रा–किराया /यातायात व्यय आदि	रू0 4500 प्रति प्रशिक्षण	4500.00
3	वैज्ञानिक/विषय–विशेषज्ञ को मानदेय	रू0 250 प्रति व्याख्यान (दो दिन में 8 व्याख्यान)	2000.00
4	कृषकों के लिये भोजन व जलपान व्यवस्था	रू0 250 प्रतिदिन X 30 किसान X दो दिवस	15000.00
		योग	**24000.00**

सॉयल हैल्थ कार्ड योजना वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत क्षमतावर्धन हेतु स्टॉफ प्रशिक्षण कार्यक्रम के दिशा–निर्देश

1. सॉयल हैल्थ कार्ड योजनान्तर्गत नमूना संग्रहण में सम्मिलित कार्मिको को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।
2. नमूना संग्रहण के कार्मिक कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, मृदा प्रयोगशालाओं के कार्मिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों व कृषि विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं के कार्मिक जो नमूना संग्रहण के कार्य में भागीदार हो को प्रशिक्षिण में सम्मिलित किया जा सकता है।
3. स्टॉफ प्रशिक्षण के एक समूह में अधिकतम 20 कार्मिक होगें।
4. यह प्रशिक्षण दो दिवस की अवधि का होगा एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्राहय परीक्षण केन्द्र आदि पर आयोजित किया जा सकता है।
5. सॉयल हैल्थ कार्ड योजनान्तर्गत इस प्रशिक्षण में कार्मिकों को नमूना संग्रहण की विस्तृत कार्य विधि के बारे में निम्नानुसार जानकारी उपलब्ध करायी जावें –

- योजनान्तर्गत सिंचित क्षेत्र में 2.5 हैक्टेयर ईकाई क्षेत्र एवं असिंचित क्षेत्र 10 हैक्टेयर ईकाई क्षेत्र से नमूना लिया जाना है।
- नमूना ईकाई क्षेत्र में आने वाले सभी खसरा/जोत से मिट्टी लेकर एक प्रतिनिधि नमूना तैयार किया जाना है।
- प्रतिनिधि नमूना लेने के लिये उस गांव के सभी खसरो, जोतो, सिंचित व असिंचित क्षेत्र आदि सभी जानकारियां पटवारी के सहयोग से कृषि पर्यवेक्षकों को एकत्र करनी होगी।
- नमूना एकत्रित करने के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में नमूने की जानकारी भरकर नमूने के साथ संलग्न करनी होगी।
- इस प्रकार एकत्रित नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाया जायेगा।
- प्रशिक्षण में मृदा स्वास्थ्य कार्ड व इसकी उपयोगिता की विस्तृत जानकारी भी दी जावें।

स्टॉफ प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रावधान –

क.सं.	मद	दर	कुल राशि रू0
1	प्रशिक्षण सामग्री, स्टेशनरी, हॉल किराया, श्रव्य दृश्य सामग्री आदि ।	रू0 5000 प्रति प्रशिक्षण	5000.00
2	लोजिंग/यात्रा–किराया /यातायात व्यय आदि	रू0 15000 प्रति प्रशिक्षण	15000.00
3	वैज्ञानिक/विषय–विशेषज्ञ को मानदेय	रू0 500 प्रति व्याख्यान (दो दिन में 8 व्याख्यान)	4000.00
4	कृषकों के लिये भोजन व जलपान व्यवस्था	रू0 300 प्रतिदिन X 20 कार्मिक X दो दिवस	12000.00
		योग	**36000.00**

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 5(4) कृ.प्र./24 ब/2016–17/2322-2496 दिनांक– 13-5-16

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद.......................................

विषयः– वर्ष 2016–17 में विस्तार–प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा–निर्देश, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

कृषको एवं कृषि विस्तार कार्मिको की तकनीकी ज्ञान वृद्धि हेतु प्रशिक्षण एक आवश्यक माध्यम है। अनुसंधान एंव विकास योजनाओ के लाभ उचित लाभार्थियों तक पहुचाने का सशक्त माध्यम विस्तार प्रणाली है। विस्तार की विभिन्न गतिविधियों को अपनाकर वास्तविक लाभार्थियों को उचित ज्ञान/जानकारी उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा सकता है। वर्ष 2016–17 में सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के तहत संचालित निम्न गतिविधियों के माध्यम से कृषकों को जानकारी देने एवं उत्पादन वृद्धि हेतु दिशा–निर्देश एवं भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य भिजवाये जा रहे है।

अ– सॉयल हैल्थ कार्ड योजना :–

1. दो दिवसीय ऑफिसर प्रशिक्षण
2. दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण

संलग्नः–दिशा–निर्देश एवं भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(डॉ. नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट
शासन सचिव, कृषि

क्रमांक एफ 5(4) कृ.प्र./24 ब/2016–17/2322-2496 दिनांक :– 13-5-16

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं पशुपालन राजस्थान–जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, कृषि राजस्थान–जयपुर।
4. निदेशक, पशुपालन/मत्स्य पालन, राजस्थान–जयपुर।
5. अपर निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/एन.एम.ओ.ओ.पी.) मुख्यालय जयपुर
6. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर
7. निदेशक समेती (आत्मा), दुर्गापुरा जयपुर
8. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार/तिलहन)/परियोजना निदेशक सीएडी कोटा.............
9. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार/योजना/आदान/पौ0सं0/गु0नि0/ज0उ0प्र0/शस्य– एटीसी/प्र0 एवं मू0/सांख्यिकी/रसायन), मुख्यालय जयपुर।
10. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद/उप निदेशक कृषि (विस्तार), आईजीएनपी बीकानेर.......... .... ।
11. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार/अभियांत्रिकी/बीज/उर्वरक/सांख्यिकी/सूचना), मुख्यालय जयपुर।
12. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उप जिला...
13. आरक्षी पत्रावली।

(एल.एन.कुमावत)
अपर निदेशक कृषि (विस्तार)